एफएसएसएआई
fssai

For immediate release

FSSAI ने पूरे भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए खाद्य सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ किया

FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को कड़े खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने एवं आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली - 8 जुलाई, 2025 – एफएसएसएआई सीईओ एफएसएसएआई ने मंगलवार को एक बैठक में प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा सर्वोपरि महत्व की है, और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का किसी भी गैर-अनुपालन को अत्यंत गंभीरता से देखा जाएगा, जिससे संभावित रूप से गंभीर कार्रवाई हो सकती है। नई दिल्ली में एफएसएसएआई मुख्यालय में आयोजित बैठक में 70 से अधिक प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सीईओ ने तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाज़ार में खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया। बैठक का मुख्य फोकस पूरी ई-कॉमर्स खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं को मजबूत करना था।

विचार-विमर्श के दौरान, एफएसएसएआई (FSSAI) के सीईओ ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक रसीद, चालान और कैश मेमो पर अपने एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस/पंजीकरण संख्या को प्रमुखता से प्रदर्शित करने सुझाव दिया।

बैठक में मुख्य रूप से ई-कॉमर्स संस्थाओं को FoSCoS पोर्टल पर अपने संचालन से जुड़े सभी गोदामों और भंडारण सुविधाओं का व्यापक विवरण साझा करने का निर्देश दिया गया। उपभोक्ता इंटरफ़ेस पर खाद्य उत्पादों के लिए "समाप्ति तिथि/उपयोग की अंतिम तिथि" प्रदर्शित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई।

एफएसएसएआई (FSSAI) के सीईओ ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को अपने सभी गोदामों और भंडारण सुविधाओं में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन सुविधाओं की तस्वीरें नियमित रूप से FoSCoS पोर्टल पर अपलोड की जाएं। यह भी अनिवार्य किया गया कि ई-कॉमर्स कर्मियों सहित प्रक्रिया

में शामिल सभी खाद्य संचालकों को स्वच्छता प्रोटोकॉल में अनिवार्य एफएसएसएआई (FSSAI) फोस्टैक (खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन) प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

प्लेटफॉर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे एफएसएस (FSS) अधिनियम के तहत निर्धारित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें। ई-कॉमर्स संचालन से जुड़े सभी गोदामों का एफएसएसएआई (FSSAI) द्वारा विधिवत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना आवश्यक है, इस बात पर दृढ़ता से जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को अपने गोदामों, खाद्य संचालकों और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित डेटा एफएसएसएआई (FSSAI) के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया, जिससे बढ़ी हुई पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

एफएसएसएआई (FSSAI) ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल प्रत्येक संस्था, विनिर्माण से लेकर होम डिलीवरी तक, अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। पूरी प्रक्रिया को उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है।

एफएसएसएआई प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य उत्पाद प्राप्त हों, भले ही उनकी खरीदारी पारंपरिक खुदरा चैनलों या आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से की गई हो। यह महत्वपूर्ण बैठक खाद्य वितरण के गतिशील परिदृश्य को विनियमित करने के लिए एफएसएसएआई के सक्रिय और निर्णायक दृष्टिकोण को चिह्नित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मस भारतीय उपभोक्ताओं के हित में खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखें।

****